

**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर**

मु0नं0-34/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00062

उनवान -सरकार बनाम किशन कुमार पुत्र श्री कल्लाराम जाति वैश्य नि0पुरानी सब्जी मण्डी धौलपुर (मैसर्स शिवम मिष्ठान भण्डार जगदीश तिराहा धौलपुर )

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

**निर्णय**

**दिनांक -27.08.2020**

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेशकुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल बीकानेर ने अप्रार्थी श्री किशन कुमार पुत्र श्री कल्लाराम जाति वैश्य नि0पुरानी सब्जी मण्डी धौलपुर (मैसर्स शिवम मिष्ठान भण्डार जगदीश तिराहा धौलपुर ) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.08.2019 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स शिवम मिष्ठान भण्डार जगदीश तिराहा धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में स्टील की ट्रे में लगभग 15 किलो ग्राम जलेबी आम जनता को विक्रय करने हेतु रखी थी। इस जलेबी में मिलावट का शक होने पर उक्त जलेबी में से 2 किलो जलेबी वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त 2 किलो ग्राम जलेबी नमूना डी-1661 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2019 के अनुसार उक्त जलेबी सबस्टैंडर्ड प्रकृति की होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड जलेबी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड जलेबी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री किशन कुमार पुत्र श्री कल्लाराम जाति वैश्य नि0पुरानी सब्जी मण्डी धौलपुर (मैसर्स शिवम मिष्ठान भण्डार जगदीश तिराहा धौलपुर ) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 2500/-रुपये ( दो हजार पाँच सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेंद्र के.वर्मा)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर (राज.)